पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर–2017

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार राज्य में विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिन्हित करने का विशेष अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित किया जाना है। इस हेतु सम्पूर्ण राज्य में पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों का आयोजन किया जाना है।

1. **पृष्ठभूमि** :–वर्तमान में राज्य में जनगणना के अनुसार विशेष योग्यजनों की संख्या 15 लाख से अधिक है जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत लगभग 4 लाख विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर 21 कर दी गई है (संलग्न : परिशिष्ट–I)। अतः सम्पूर्ण राज्य में विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिन्हित करने का विशेष अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित किया जाना है।

2. **उद्देश्य** :–उक्त अभियान के उद्देश्य निम्नानुसार है :–
   - विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण (Identification) एवं पंजीयन (Registration) करना।
   - विशेष योग्यजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) जारी करना।
   - विशेष योग्यजनों की आवश्यकता एवं पात्रता अनुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण (Aids & Appliances) उपलब्ध करवाना।
   - भारत सरकार की यू.डी.आई.डी. योजना अन्तर्गत विशेष योग्यजनों को यू.डी.आई.डी. कार्ड (Unique Disability ID Card) जारी करवाया जाना।
   - पेंशन, बस/रेल पास, ऋण, पालनहार इत्यादि योजनाओं से लाभान्वित करना ।
   - विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना एवं उनसे लाभान्वित करवाना।
   - राज्य में निवासरत विशेष योग्यजनों का एक डाटा बैस तैयार कर ऑन लाईन रिकॉर्ड संधारित करना ।

3. **कार्य योजना** : पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर–2017 निम्नलिखित **तीन चरणों** में सम्पादित किये जायेगे :–

   (I) **चिन्हीकरण एवं पंजीयन** 01 जून से 24 सितम्बर, 2017 तक (ई–मित्र/अटल सेवा केन्द के माध्यम से विशेष योग्यजनों द्वारा पंजीयन)

   (II) **निशक्तता प्रमाणीकरण** 25 सितम्बर से 12 दिसम्बर, 2017 तक (विधानसभावार कैम्प आयोजित कर)

   (III) **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरण शिविर** 13 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक (जिला स्तर पर कैम्प आयोजित कर)

चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया :–पंजीयन sso. rajasthan.gov.in पर किया जायेगा। पंजीयन निम्नलिखित स्थानों पर करवाया जा सकेगा :–

- राज्य भर के सभी ई–मित्र केन्द्रों पर।
- ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केन्द्र पर।
- विशेष योग्यजन स्वयं भी अपने कम्प्यूटर/मोबाईल पर अपना पंजीयन कर सकेगें।

यह पंजीयन विशेष योग्यजनो के लिए निःशुल्क होगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीयन हेतु ई–मित्र केन्द्र को 30 रुपये की राशि अलग से उपलब्ध करवायी जायेगी।

Annexture-A

Types of Disabilities (निःशक्तता के प्रकार) Listed in The Right of Persons with Disabilities Act 2016

1. Blindness (अंधता)
2. Low-vision (अल्प दृष्टि)
3. Leprosy Cured Persons (कुष्ठ रोग मुक्त)
4. Hearing Impairment(deaf and hard of hearing) श्रवण बाधित (बधिर एवं ऊंचा सुनना)
5. Locomotor Disability (चलन निःशक्तता)
6. Dwarfism (बोनापन)
7. Intellectual Disability (बौद्धिक अक्षमता)
8. Mental Illness (मानसिक रोगी)
9. Autism /Spectrum Disorder (स्वलीनता)
10. Cerebral Palsy (प्रमस्तिष्क घात)
11. Muscular Dystrophy (मांसपेशीय दुर्विकास)
12. Chronic Neurological Conditions (क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कण्डीशन)
13. Specific Learning Disability (स्पेसिफिक लर्निंगं डिसेबलीटी)
14. Multiple Sclerosis (मल्टीपल स्कलेरोसीस)
15. Speech and Language disability (वाक् एवं भाषा निःशक्तता)
16. Thalassemia (थैलेसीमिया)
17. Hemophilia (हीमोफीलिया/अधिरक्तस्त्राव)
18. Sickle Cell Disease (सीकल सैल डिजीज)
19. Multiple Disabilities Including /deafblindness (बहु **निःशक्तता**)
20. Acid Attack Victim (तेजाब हमला पीड़ित)
21. Parkinson's Disease (पार्किसंस रोग)

किशोरसागर